न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) गोरखपुर

वाद संख्या–2003/2022

नन्दलाल शर्मा––––बनाम––––बबलू गुप्ता उर्फ धर्मेन्द्र वगैरह

दिनांक–10.02.2025

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिंदु विरचित किये जा रहे हैं–

1. क्या वादी वाद पत्र में किये गये कथन के आधार पर खिलाफ प्रतिवादीगण वादपत्र के अंत में वर्णित विवादित दुकान स्थित मुहल्ला जटेपुर दक्षिणी धर्मशाला बाजार गुरुद्वारा गली नौतनवां रोड गोरखपुर से प्रतिवादीगण का कब्जा दखल हटाकर उक्त दुकान पर वादी का कब्जा दखल का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हां तो प्रभाव?
2. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
3. क्या दिया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
4. क्या न्यायालय को प्रस्तुत मुकदमा श्रवण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है?
5. क्या प्रस्तुत वाद में बिवन्धन की बाधा है?
6. क्या दावा वादी मेन्टीनेबुल नहीं है?
7. क्या दावा वादी में दफा 34 कानून दादरसी का दोष आरिज है?
8. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

उपरोक्त वाद बिदुओ को उभय पक्ष को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अन्य कोई वाद बिंदु बनाने पर बल नहीं दिया गया और न ही अन्य कोई वाद बिंदु बनता प्रतीत हो रहा है। पत्रावली वास्ते सुनवाई वाद बिंदु 2 व 3 दिनांक 08.05.2025 को पेश हो।

सिविल जज(जू०डि०)
गोरखपुर